



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर - 452 001

अतिआवश्यक

पृ.पत्र क्र. प्रशा./प्रवेश आरक्षण/2024/141

दिनांक 26 FEB 2024

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित समस्त विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन छात्रावासों में दिव्यांग विद्यार्थियों को दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 32 उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण अनुसार प्रवेश में 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रावधानित करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाने के संबंध में।

सन्दर्भ:-उ.शि.वि.के पत्र क्र.113/1737345/2024/38-2 दिनांक 23.01.2024.

प्रति,

1. विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख,समस्त अध्ययनशालाएँ/संस्थान/देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर, खंडवा रोड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक/अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त शासकीय महाविद्यालय, अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय इन्दौर/धार/झाबुआ/खण्डवा/खरगोन/बडवानी/अलीराजपुर/बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. विभागाध्यक्ष, आय.टी. सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।


कुलसचिव


मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

श्रीमती कृष्णावती
25.1.24

क्रमांक/ 113 /1737345/2024/38-2

भोपाल, दिनांक 23/01/2024

प्रति,

1. समस्त कुलसचिव
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।
2. सचिव,
निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,
भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश।
4. समस्त प्राचार्य,
शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय
महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।



विषय:-उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित समस्त विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन छात्रावासों में दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ:-प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 1691/1720699/2023/26-1, दिनांक 07.12.2023.

-----0-----

उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि आपके क्षेत्रान्तर्गत स्थित विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों में विद्यमान छात्रावासों में दिव्यांग विद्यार्थियों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 32 " उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण" अनुसार प्रवेश में 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रावधानित करने हेतु कार्यवाही मुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न:-संदर्भित पत्र की प्रति।

For n.m.
Chairman (CUET)

All HOD
✓ DR (adm)

Accum
24.1.24

(के.सी. गुप्ता)

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग


देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर
आवक क्र. 98
दिनांक 24 JAN 2024

भोपाल, दिनांक २३ /01/2024

पृ.क्रमांक/ 114 /1737345/2024/38-2

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मशासन .प्र., उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. निज सहायक, समस्त कुलपति परम्परागत एवं निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. प्रभारी अधिकारी, आईसेल .टी., कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
6. गार्ड फाईल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

R = 1737345/23/35-2
8-12-23

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1737345/23/35-2

भोपाल दिनांक 07-12-2023

प्रति

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

R
31/12/23
AS
[Signature]

विषय:-

उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित छात्रावासों में दिव्यांग विद्यार्थियों को आरक्षण प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ:-

संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण का पत्र क्र. 3206 दिनांक 06.11.2023

2733
07-12-2023

1737345/MSI/2023
07-12-2023

विषयान्तर्गत लेख है कि दिव्यांगजन अधिकांश अधिनियम 2016 की धारा 12 के तहत शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण अनुसार उच्च शिक्षा की सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं में बैचमार्क वाले दिव्यांगजनों के लिए कम-से-कम पांच प्रतिशत स्थानों में आरक्षण रखे जाने का प्रावधान है। (परिशिष्ट-ए)

जनजातीय कार्य विभाग मंत्र द्वारा विभाग अंतर्गत संचालित विशिष्ट संस्थाओं जैसे- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर मॉडल स्कूल में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये प्रवेश में 5 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है। (परिशिष्ट-बी)

संलग्न संदर्भित पत्र द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा को समस्त विश्वविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयी छात्रावासों में भी 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदाय करने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक तर्कोंवाली रिपोर्ट ज्ञान हेतु लेख किया गया है।

उपरोक्तानुसार दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों में आरक्षण प्रदाय किए जाने हेतु आदेश जारी कराते हुये, कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

[Signature]
23/12
[Signature]

(सचिन सिन्हा)

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

क्रमांक 1632 वि०/१९/२०१७/२०१ भोपाल दिनांक ०२/०१/२०१७
प्रतिलिपि

- 1 आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय भोपाल की ओर संवर्धन
- 2 आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन अरेरा हिल्स भोपाल म ड की ओर संवर्धन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
 मध्यप्रदेश शासन
 सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग